संख्या– /V–2/17(आ0)18/2018

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तरखण्ड आवास एवं नगर विकास,
प्राधिकरण, देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

3– उपाध्यक्ष,
समस्त जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

4– सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषय– राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4697/V/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के द्वारा प्राधिकरणों के लिए निर्धारित भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया है। सम्प्रति राज्य में 12 जनपदीय स्तर विकास प्राधिकरण अधिसूचित होने के फलस्वरूप एवं निर्धारित शुल्कों का पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.10.2004 साथ संलग्नक परिशिष्ट को संशोधित करते हुए तद्नुसार संशोधित परिशिष्ट संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से यह निर्धारित संशोधित शुल्क राज्य में समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी होंगे।

2– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के द्वारा निर्धारित मानचित्र शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में समान रूप से लागू होंगे। किन्तु मसूरी क्षेत्र में पूर्व शासनादेश दिनांक 19.10.2004 द्वारा निर्धारित दरें ही लागू होगी।

3– उपरोक्तानुसार सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–294/XXVII(2)/2018, दिनांक 20.07.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक:– यथोक्त।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या–297/V–2/06(आ0)2016/2018–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढवाल, नैनीताल/पौडी।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 297/V-2/17–(आ0)/2018 दिनांक 10 जुलाई, 2018 का संलग्नक

परिशिष्ट

	शासनादेश संख्या–4697/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के अनुसार	प्रस्तावित				अन्य
		मैदानी विकास क्षेत्र		पर्वतीय विकास क्षेत्र		
	शासनादेश संख्या–4697/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के अनुसार	प्रस्तावित: मैदानी क्षेत्रों में पूर्व में स्थित विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र जो अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधीन है	पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व में स्थित विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र जो अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधीन है	मैदानी क्षेत्र के स्तम्भ संख्या 2 के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के शेष विकास क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र के स्तम्भ संख्या 3 के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के शेष विकास क्षेत्र	अन्य
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. मानचित्र आवेदन शुल्क						
i. आवासीय उपयोग						
(क) आवासीय भवन (भू–खण्ड क्षेत्रफल पर)						
100 वर्ग मी0 तक	रू0 100	रू0 100	रू0 100	रू0 100	रू0 100	
101 से 200 तक	रू0 200	रू0 200	रू0 200	रू0 200	रू0 200	
201 से 300 तक	रू0 300	रू0 300	रू0 300	रू0 300	रू0 300	
300 से अधिक	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	
(ख) आवासीय तलपट	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	
(ग) ग्रुप हाउसिंग/मनोरंजन/पर्यटन	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	
1.2 व्यवसायिक उपयोग/व्यवसायिक तलपट मानचित्र शुल्क	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	
1.3 धार्मिक एवं तत्सम्बन्धी उपयोग प्रयोजन के उपयोग	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	
1.4 कार्यालय/शैक्षिक/संस्थागत/तकनीकी संस्थान/आई0टी0/सामुदायिक उपयोग	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	
1.5 औद्यौगिक उपयोग	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	
1.6 औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	रू0 5000	
1.7 यातायात एवं परिवहन उपयोग	रू0 500	रू0 500	रू0 500	रू0 500	रू0 500	

1.8 मनोरंजन / पर्यटन उपयोग	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	रू0 3000	
2. सुधार एवं विकास शुल्क (भवन के समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्र पर देय होगा)						
आवासीय भवन	रू0 75 / वर्ग मी0 रू0 55 / वर्ग मी0 रू0 35 / वर्ग मी0 रू0 75 / वर्ग मी0 मसूरी विकास क्षेत्र तथा अन्य विशेष क्षेत्रों में आधे दर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 25 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 60 / वर्ग मी0	रू0 60 / वर्ग मी0	रू0 30 / वर्ग मी0	
ग्रुप हाउसिंग	रू0 75 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 60 / वर्ग मी0	रू0 60 / वर्ग मी0	रू0 30 / वर्ग मी0	
व्यवसायिक भवन	रू0 200 / वर्ग मी0	रू0 250 / वर्ग मी0	रू0 150 / वर्ग मी0	रू0 150 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	
औद्योगिक भवन	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 40 / वर्ग मी0	
शैक्षिक / स्वास्थ्य / तकनीकी शिक्षा उपयोग के भवन	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 40 / वर्ग मी0	
कार्यालय / संस्थागत / धमार्थ / सांस्कृतिक भवन अन्य सामुदायिक उपयोग के भवन	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 70 / वर्ग मी0	रू0 40 / वर्ग मी0	
वेडिंग प्वाईन्ट / बेनक्वेट हॉल	रू0 200 / वर्ग मी0	रू0 150 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	रू0 50 / वर्ग मी0	
सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवन	रू0 75 / वर्ग मी0	रू0 75 / वर्ग मी0	रू0 75 / वर्ग मी0	रू0 75 / वर्ग मी0	रू0 75 / वर्ग मी0	
कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप भवन मुर्गी फार्म, मशरूम फार्म, सुअर पालन, मत्स्य पालन पार्क आदि सम्बन्धी भवन	रू0 200 / वर्ग मी0	रू0 200 / वर्ग मी0	रू0 150 / वर्ग मी0	रू0 150 / वर्ग मी0	रू0 100 / वर्ग मी0	
3. भू–उपयोग प्रमाण पत्र	न्यूनतम रू0 150 अथवा प्रति खसरा रू0 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम रू0 150 अथवा प्रति खसरा रू0 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम रू0 150 अथवा प्रति खसरा रू0 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम रू0 150 अथवा प्रति खसरा रू0 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम रू0 150 अथवा प्रति खसरा रू0 15 की दर से जो भी अधिक हो	
4. पत्रावली पुर्नस्थापना शुल्क						
आवासीय	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	
व्यवसायिक	मानचित्र शुल्क का 75%	मानचित्र शुल्क का 75%	मानचित्र शुल्क का 75%	मानचित्र शुल्क का 75%	मानचित्र शुल्क का 75%	

औद्योगिक	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	
अन्य	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	
5. प्रतिलिपि शुल्क	प्राधिकरण अभिलेख से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिलिपि शुल्क के रूप में रू0 100 प्रति प्रतिलिपि की दर पर शुल्क देय होगा	मानचित्र की प्रतिलिपि रू0 200/प्रति तथा रू0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्रतिलिपि रू0 200/प्रति तथा रू0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्रतिलिपि रू0 200/प्रति तथा रू0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्रतिलिपि रू0 200/प्रति तथा रू0 2/पृष्ठ की दर से	

टिप्पणीः–

1. मैदानी क्षेत्रों के निर्मित/विकसित क्षेत्र में भू–उपविभाजन शुल्क 01 प्रतिशत में एवं अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत देय होगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत देय होगा।
2. मैदानी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण शुल्क रू0 05 प्रति वर्ग मीटर की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर तथा पर्वतीय क्षेत्र में रू0 05 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।
3. मसूरी विकास क्षेत्र में शुल्कों की गणना शासनोदश संख्या–4697/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दिनांक 19.10.2004
4. उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त यदि अन्य शुल्क आवश्यक है तो सम्बन्धित बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
5. उपरोक्त शुल्कों में यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अपने बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
6. तालिका में वर्णित मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र की परिभाषा प्रचलित भवन उपविधि में निर्धारित परिभाषा के अनुसार होगा।